लुनावा
...ति स्थापना
14.10.2021
बजे से 07

(2021/366)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली कैम्प आमलिया
पीठासीन अधिकारीः श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
मांगीलाल पुत्र गजारामजी जाति मीणा साकिन कागदडा झूपा तहसील बाली		तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :– 117/2021
बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनॉक : 20.10.2021

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण कैम्प में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कागदडा के खसरा नम्बर 166, 167, 168, 169, 170 व 171 कुल खसरा–06 कुल रकबा 2.5700 हैक्टर स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी के पिता का **त्रुटिपुर्ण नाम दरजा पुत्र भीमा दर्ज हैं** तथा अतः रेकर्ड को दुरूस्त करते हुए प्रार्थी के पिता का **सही व वास्तविक नाम गजाराम पुत्र भीमाराम दर्ज** करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज बतौर सह खातेदार **प्रार्थी के पिता का त्रुटिपुर्ण नाम दरजा पुत्र भीमा दर्ज** हैं, जबकि प्रार्थी के पिता का **सही व वास्तविक नाम गजाराम पुत्र भीमाराम** प्रस्तुत दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो पहचान पत्र की प्रतियो के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंषा की हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम कागदडा के खसरा नम्बर 166, 167, 168, 169, 170 व 171 कुल खसरा–06 कुल रकबा 2.5700 में दर्ज प्रार्थी के पिता का **त्रुटिपुर्ण नाम दरजा पुत्र भीमा** को दुरूस्त करते हुए प्रार्थी के पिता का **सही व वास्तविक नाम गजाराम पुत्र भीमाराम** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
कैम्प : आमलिया

आदेश आज दिनॉक 20.10.2021 मजमें कैम्प आमलिया में पक्षकारों को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाली
कैम्प आमलिया

उपखण्ड अधिकारी
बाली

Scanned with CamScanner